सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

## पीठासीन अधिकारीः– श्री जसमीत सिंह संधू आई0ए0एस0

## राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 09/2019

श्री मिठु आयु 65 वर्ष पुत्र श्री दूले खां जाति मेहरात निवासी जालिया प्रथम तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज0) ––––––––––प्रार्थी

ब ना म

1– श्री मौहम्मद आयु 55 वर्ष पुत्र स्व. श्री रमजान जाति मेहरात निवासी जालिया प्रथम तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज0)

2– श्री बन्टी आयु 24 वर्ष पुत्र स्व. श्री शमशेर काठात

3– सोनू आयु 20 वर्ष पुत्री स्व. श्री शमशेर काठात

4– श्रीमती सरोज आयु 47 वर्ष पत्नि स्व. श्री शमशेर काठात
समस्त 2 से 4 जाति मेहरात निवासी अक्षय नगर, विस्तार प्रथम बिजयनगर रोड़ ब्यावर जिला (राज.)

5– श्री रोशन आयु 50 वर्ष पुत्र स्व. श्री रमजान

6– श्री सुरेश आयु 42 वर्ष पुत्र स्व. श्री रमजान

7– श्रीमती नसीबी आयु 76 वर्ष पत्नि स्व. श्री रमजान
5 लगायत 7 समस्त जाति मेहरात निवासी जालिया प्रथम तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

8– श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

9– राजस्थान सरकार जरिये भूधारक, श्रीमान् तहसीलदार महोदय ब्यावर (राज.)

–––––अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी**

आदेश दिनांक 01-05-19

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किये हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की संयुक्त सहखातेदारी की आराजी कृषि भूमि ग्राम व पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जालिया प्रथम तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) में स्थित चली आती है जो प्रार्थना पत्र के पद संख्या (क) में अंकित खसरा संख्या 481 रकबा 00–08–00 किस्म गै.मु.चा., 482 रकबा 00–01–00 किस्म गै.मु.आबादी, 483/1 रकबा 05–13–00 किस्म बा.1 तथा पद संख्या (ख) में अंकित खसरा संख्या 472/1 रकबा 02–02–11 किस्म चा.2ता., 480/1 रकबा 00–15–16 किस्म चा.2ता., 1068/1 रकबा 00–03–15 किस्म चा.1ता. है जो वादग्रस्त आराजियात के नाम से संबोधित की जायेगी। उक्त आराजी कृषि भूमियां प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की पैतृक आराजी कृषि भूमियां है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में परिवार का सजरा अंकित है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1, 5 से 7 प्रत्येक का 1/10–1/10 वां हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 का 1/30–1/30 वां हिस्सा निहित चला आता है जिसका विधिक रूप से कोई बंटवारा नहीं हो रखा है। वादग्रस्त आराजियात की सींव व पाली को लेकर एवं लगान की राशि को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के मध्य आये दिन झगड़ा फसाद होता रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 अपने हिस्से की आराजियात कृषि भूमियों को अन्यत्र बेचान कर उनका भौतिक कब्जा भी अन्य दीगर व्यक्तियों को संभलाने पर आमादा है जबकि उपरोक्त भूमियों का भौतिक रूप से बंटवारा नहीं हो रखा हैं जिन्हें की विधि के अनुरूप बंटवारा नहीं जो जाता तब तक रोका जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 7 से दिनांक 20.01.2019 को उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात का विधि अनुरूप बंटवारा करवाने का निवेदन किया जिन्होंने साफ इंकार कर दिया इसलिये प्रस्तुत वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई । अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से भी पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना

..................लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर • Beawar

पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक स्वयं अप्रार्थीगण व या उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट मुख्तयार आदि प्रार्थी के हिस्से में आयी आराजी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं अप्रार्थी संख्या 8 को भी पाबंद फरमाया जावे कि उपरोक्त आराजी कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा न हो जाता है तब तक अप्रार्थी व अन्य कोई भी व्यक्ति हस्तान्तरण विलेख या किसी भी प्रकार का विलेख पंजीयन हेतु लावे तो पंजीयन न करें/ना करावें। जब तक मौजूदा वाद का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे।

अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 बावजूद नोटिस तामीली के अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी श्री सूरजसिंह चौहान की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी ने नक्शा किश्तवार की छाया प्रति प्रस्तुत की है। ग्राम जालिया प्रथम की जमाबन्दी संवत् 2072–75 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 350 में अंकित खसरा संख्या 481 रकबा 00–08–00 किस्म गै.मु.चाह, 482 रकबा 00–01–00 किस्म गै.मु.आबादी, 483/1 रकबा 05–13–00 किस्म बा.1 में मौहम्मद शमशेर रोशन सुरेश पि. रमजान व मु. नसीबी बेवा रमजान मिठु पि. दुलेखां कौम मेरात सा. देह खातेदार दर्ज होना पाया गया है व इसी जमाबन्दी में नामान्तकरण संख्या 821 दिनांक 27.05.2016 से शमशेर पि. रमजान के स्थान पर बन्टी नाबा. पि. शमशेर काठात, सोनू साबा. पुत्री शमशेर काठात बसरबराही माता खुद, सरोज पत्नि शमशेर काठात कौम मेरात नि. अक्ष्य नगर विस्तार प्रथम बिजयनगर रोड़ ब्यावर खातेदार के नाम अंकन करने की स्वीकृति होना दर्ज पाया गया। इसी प्रकार खाता संख्या 351 में अंकित खसरा संख्या 472/1 रकबा 02–02–11 किस्म चा.2ता., 480/1 रकबा 00–15–16 किस्म चा.2ता., 1068/1 रकबा 00–03–15 किस्म चा.1ता. दर्ज होना पाया गया व इसी जमाबन्दी में नामान्तकरण संख्या 821 दिनांक 27.05.2016 से शमशेर पि. रमजान के स्थान पर बन्टी नाबा. पि. शमशेर काठात, सोनू साबा. पुत्री शमशेर काठात बसरबराही माता खुद, सरोज पत्नि शमशेर काठात कौम मेरात नि. अक्ष्य नगर विस्तार प्रथम बिजयनगर रोड़ ब्यावर खातेदार के नाम अंकन करने की स्वीकृति होना दर्ज पाया गया।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं बहस के आधार पर यह पाया गया कि उक्त भूमियां संयुक्त खातेदारी की भूमियां है। मूल वाद बंटवारे व स्थाई निषेधाज्ञा को लेकर प्रस्तुत किया गया है तथा इस प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता प्रार्थी ने बेचान व मौके की यथास्थिति का अनुतोष चाहा गया है जबकि प्रार्थना पत्र में पक्षकारान की सहखातेदारी की पैतृक भूमियां होना वर्णित किया है। बंटवारे के उक्त वाद में ऐसे कोई तथ्य प्रथम दृष्टया सामने नहीं है कि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आवश्यक हो। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है एवं प्रार्थीगण के पक्ष में अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी साबित नहीं होना प्रतीत होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मूल वाद साक्ष्य वादी में विचाराधीन है जो अपने अंतिम चरण में है जिसमें साक्ष्य एवं दस्तावेजात् के आधार पर पक्षकारान मूल वाद के त्वरित निस्तारण की कार्यवाही पर ध्यानाकर्षित करें ताकि गुणावगुण पर प्रकरण का निर्णय किया जा सके। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 01-05-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

(जसमीत सिंह संधू)
(जसमीतसिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.02 10:16:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: